VISION IAS

www.visionias.in

VISION IAS
08 DEC 2020
RECEIVED

SUBJECT:		Test Code:	1	4	5	6
Name of Candidate	SANDEEP KUMAR					
Medium Hindi/Eng.	Hindi	Registration Number	497817			
Center	MN	Date	04/12/20			

INDEX TABLE

Q. No.	Page No.	Maximum Marks	Marks Obtained

Total Marks Obtained:

Remarks :

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
   उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न-पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. All questions are compulsory.
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
3. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
   प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
4. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
   प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
5. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
   प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
6. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
   उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

16-B, 2nd Floor, Above National Trust Building, Bada Bazar Marg, Old Rajinder Nagar, Delhi-110060

Plot No. 857, 1st Floor, Banda Bahadur Marg (Opp. Punjab & Sindh Bank), Dr. Mukherjee Nagar, Delhi- 110009

EVALUATION INDICATORS

1. Contextual Competence
2. Content Competence
3. Language Competence
4. Introduction Competence
5. Structure - Presentation Competence
6. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

भारत में जनसंख्या नीति पर पुनर्विचार करने का समय

" भारत अशिक्षित एवं अस्वस्थ देश के साथ संपन्न देश बनने की ओर बढ़ने वाला प्रथम देश है।"

उपर्युक्त कथन अमर्त्य सेन द्वारा भारत की जनांकिकी स्थिति के बारे में कहा है। विश्व में प्रत्येक देश की उन्नति उसके मानव संसाधनों की गुणवत्ता पर ही निर्भर करती है। संसाधनों का अधिकतम उपयोग

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

जनसंख्या के अनुकूलतम होने पर ही किया जा सकता है। भारत में एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 में 136 करोड़ जनसंख्या है। भारत विश्व में सर्वाधिक जनांकिकी लाभांश वाला देश है। 2045 तक ही भारत के पास यह अवसर है।

भारत को जनांकिकी लाभांश का फायदा उठाकर विकसित देश बनना चाहिए। भारत अपने श्रम बल की गुणवत्ता एवं कौशल का प्रबंधन जनसंख्या नीति पर नए सिरे से विचार एवं प्रबंध करके ही कर सकता है।

भारत को जनसंख्या नीति पर विचार करने की आवश्यकता क्यों है। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की जनसंख्या वर्तमान समय में चुनौती और

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

संभावना दोनों को ही अपने में निहित किए हुए है। जनसंख्या का बेहतर प्रबंधन करके जनांकिकी लाभांश में बदल सकते हैं वहीं जनसंख्या भार भी बन सकते हैं। वर्तमान में भारत की औसत आयु 28 वर्ष है। भारत की जनसंख्या का 65% कार्यशील जनसंख्या के रूप में है। भारत की जनसंख्या में 15 वर्ष कम आयु की जनसंख्या भी 25% है। उपर्युक्त तथ्यों का विश्लेषण बताता है कि भारत 2045 तक ~~विकसित~~ की यात्रा तय करेगी भारत वैश्विक नेतृत्व करेगा या नहीं।

वर्तमान समय में भारत के सामाजिक संसाधन, आर्थिक संसाधन जनसंख्या के दबाव से ग्रसित हैं। कृषि क्षेत्र का ~~सकल~~ ~~सब्दीय~~ सकल घरेलू उत्पाद में 14% हिस्सा है जबकि 49% जनसंख्या

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

कार्यरत हैं। भारत के नगरों में 32% जनसंख्या निवास करती है। भारतीय नगर कच्ची बस्ती, पेयजल, आवास एवं स्वच्छ हवा जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। भारत के गाँव भी अपराध, सामाजिक तनाव एवं आजीविका के संकट का सामना कर रहे हैं।

जनसंख्या नीति पर पुर्नविचार की आवश्यकता प्रतिस्थापन दर के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु भी है। प्रतिस्थापन दर 2.1 प्रति महिला है। यह दक्षिणी भारत के राज्यों में जहाँ 1.6 प्रति महिला है वहीं उत्तरप्रदेश, बिहार व राजस्थान जैसे उत्तरी भारत के राज्यों में 3 प्रति महिला है। भारत में जनसंख्या वृद्धि दर में शहर एवं गाँव में भी अंतर देखने को मिलता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

बच्चों को शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य की दशा एवं दिशा दोनों को गुणवत्तापूर्ण बनाने हेतु भी जनसंख्या नीति पर पुर्नविचार आवश्यक है।

भारत में कुपोषण की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। 50% प्रजनन आयु वाली महिलाएं एनीमिया की समस्या से ग्रसित हैं। भारत में महिलाओं के संदर्भ में स्वच्छता जैसी समस्या भी है। पोषण के संदर्भ में सूक्ष्म तत्वों की कमी अधिक चिंताजनक है।

जनसंख्या नीति पर पुर्नविचार का एक कारण यह भी है भारत की युवा जनसंख्या के लिए गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा, एवं रोजगार एवं आर्थिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने हेतु। भारत की जनसंख्या कौशल युक्त, वैज्ञानिक तकनीक संपन्न एवं तार्किक चिंतन से युक्त होनी चाहिए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

जनसंख्या की अधिक वृद्धि दर आर्थिक संसाधनों पर भार के साथ-साथ सामाजिक ~~संसाधनों~~ सौहार्द्र को भी बिगाड़ती है। जनसंख्या के कुप्रबंधन अपराध, नक्सलवाद, घरेलू हिंसा, उग्रवाद एवं आतंकवाद को बढ़ावा देता है। वर्तमान में भारत की युवा पीढ़ी नशे की ओर उन्मुख हो रही है।

जनसंख्या राजनीति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। जनसंख्या की गुणवत्ता में सुधार करके ही ~~मानव~~ ~~संसाध~~ राजनीति के स्वच्छता की ओर बढ़ा जा सकता है। राजनीति के अपराधीकरण, चुनावों का स्वायत्त एवं निष्पक्ष योग्य एवं कुशल नागरिक ही तय कर सकते हैं।

जनसंख्या के भार बढ़ने के कारण

शासन व्यवस्था में भ्रष्टाचार भी बढ़ता है। यह प्रवृत्ति सीमित संसाधनों के वितरण से जुड़ी है।

उपर्युक्त विश्लेषण से हम जनसंख्या नीति की आवश्यकता पर विचार किया है। लेकिन हमें भारत के जनसंख्या वृद्धि के कारणों का भी विश्लेषण करना होगा। जनसंख्या वृद्धि के कारणों का विश्लेषण करने पर हमें सामाजिक कारणों पर भी अधिक ध्यान देना होगा।

भारत में साक्षरता का स्तर 74% है। यह भारत की जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है। अशिक्षित ~~जनसंख्या~~ लोग अपने होने वाली संतती की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण की गुणवत्ता पर विचार नहीं करते हैं। ~~जनसं~~ यह गरीबी को भी बढ़ावा देती है। यह चक्रीय प्रक्रिया अशिक्षा, गरीबी

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

एवं जनसंख्या वृद्धि को बढ़ाती है संतान पैदा करने को आय अर्जन एक प्राकृतिक बढ़ने के रूप में भी देखते हैं।

जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। भारत में गर्भ निरोधक एवं परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता का अभाव भी है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव इस समस्या को और गंभीर बनाता है।

पुत्र प्राप्ति की इच्छा भी जनसंख्या वृद्धि का एक कारण है। ग्रामीण क्षेत्रों में पुत्र को सौभाग्य के रूप में समझा जाता है। पितृसत्तात्मक सोच एवं महिलाओं का प्रजनन पर अधिकार न होना भी जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

देती है। जनसंख्या वृद्धि के कारणों में सांस्कृतिक कारण भी जिम्मेदार है जिनमें पुत्र को वरीयता प्राप्त है।

इसी क्रम में हम जनसंख्या के नियंत्रण सरकार के प्रयासों पर भी विचार करते हैं। ~~भा~~ भारत सरकार ने 1952 में ही परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया था। सरकार ने महिलाओं के विवाह की आयु को भी बढ़ाकर 18वर्ष किए हैं।

भारत सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने पर बल दिया है। आँगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रत्येक गर्भवती महिला को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी उपलब्ध करवाती है। महिलाओं को यौन स्वास्थ्य की भी जानकारी प्रदान करती है। सरकार ने जननी सुरक्षा योजना, माँ (MAA) कार्यक्रम, लक्ष्य कार्यक्रम सुरक्षित

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

प्रसव को बढ़ावा देने के लिए संचालित किए हैं। वर्तमान समय प्रत्येक गर्भवती महिला एवं नवजात बच्चों को सार्वभौमिक टीकाकरण में सम्मिलित किया है।

महिलाओं को शिक्षा एवं रोजगार प्रदान करके जनसंख्या दर को दीर्घकाल हेतु स्थायीकरण करने का प्रयास किया है। भारत सरकार महिलाओं को संगठित क्षेत्र में रोजगार को भी बढ़ावा दे रही है। इसके लिए 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश, कार्यालय में सुरक्षा हेतु कानून एवं सार्वजनिक स्थल या सुरक्षित परिवेश हेतु कानून निर्माण किया है। महिलाओं हेतु सैल्फ हेल्प ग्रुप, माइक्रो क्रेडिट एवं अन्य वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाकर महिला सशक्तीकरण की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं जो जनसंख्या नियंत्रण हेतु भी कारगर है। आर्थिक रूप से

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

सशक्त महिला प्रजनन अधिकार का भी अपने विवेक के अनुसार उपयोग करती है।

जनसंख्या नीति पर पुनर्विचार करते समय हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखना होगा। भारत सरकार ने 2000 में जनसंख्या नीति अपनाई थी। इसमें 2045 तक जनसंख्या स्थिरीकरण का दीर्घकालीन लक्ष्य था।

इसमें हमें शीघ्र रूप से स्वास्थ्य एवं की सुविधाओं को बढ़ाना होगा। विशेषकर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं आंगनबाड़ी में आर्थिक एवं मानव संसाधन उपलब्ध कराने होंगे। सरकार के जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से लागू करना होगा। इनके क्रियांवयन में स्थानीय निकायों एवं महिलाओं की भागेदारी बढ़ानी होगी।

जबकि जनसंख्या नियंत्रण हेतु दीर्घकाल

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

के लिए प्रभावी उपाय करने होंगे। दो बच्चों की नीति एवं महिलाओं की विवाह की आयु बढ़ानी होगी। महिलाओं को पिता व पति की संपत्ति में अधिकार वास्तविक अर्थों में प्रदान करने होंगे जिससे महिला आर्थिक रूप से सशक्त हो। महिलाओं को ~~कार्यशील~~ वर्क फोर्स में भागेदारी को बढ़ाना होगा।

अंत में हम सामाजिक जागरूकता एवं समाज की मनोवृति में परिवर्तन करना होगा। समाज में पुत्र व पुत्री में भेदभाव खत्म करना होगा। प्रत्येक दंपति अपने संतानों के कल्याण हेतु नियोजन करे। तब ही भारत संपन्न एवं खुशहाल होगा। हमें ऐसे समाज व राष्ट्र का निर्माण करना होगा जहां प्रत्येक व्यक्ति एक संसाधन संपन्न, रोजगार युक्त एवं भेदभाव से मुक्त हो।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

खंड – ब

समावेशिता और समता : एक अच्छे सार्वजनिक संस्थान की अनिवार्य विशेषताएँ

" शांति नहीं तब तक जब तक
सुख भाग्य न नर का सम हो
नहीं किसी को बहुत अधिक हो
नहीं किसी को कम हो।"

राष्ट्रकवि दिनकर का यह संदेश समावेशिता और समता के महत्व को बताता है। वैश्विक संगठनों को अधिक समावेशी व लोकतांत्रिक बनाकर ही वैश्विक प्रगति एवं कल्याण को सुनिश्चित किया

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र की संघ की सुरक्षा परिषद, विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं विश्व बैंक का समावेशी व लोकतांत्रिक होना वैश्विक शांति व कल्याण हेतु आवश्यक है। प्राचीन से वर्तमान काल तक भारत वर्ष का सबसे सफल शासक वही हुआ है जिसके संगठन में समावेशिता व समानता का गुण था (अशोक व अकबर)। भारत का संविधान भी आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता के माध्यम से सबका समावेश करता है। भारत के संविधान का यही गुण समाज एवं सभी लोगों के विश्वास बनाए रखता है।

अब हमें समावेशिता और समता एक अच्छे सार्वजनिक संस्थान के आवश्यक गुण क्यों है? इस प्रश्न पर विचार करने

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

पर प्राचीन से वर्तमान काल तक के इतिहास पर विचार करना होगा। ब्रिटेन का संसदीय सुधार की इसी समावेशिता एवं समता के गुण की ओर है। अमेरिका, फ्रांस एवं रूस की क्रांति की सार्वजनिक संस्थानों एवं सरकार की कार्यप्रणाली में समावेशिता और समता के लिए ही है। वहीं प्रथम विश्व युद्ध एवं द्वितीय विश्व युद्ध भी अपवर्जन एवं उपनिवेशवाद में हिस्सों को लेकर लड़ाई है।

जब हम संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की संरचना पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि यह 1945 की विश्व व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें सुधारों की मांग भारत, जर्मनी, जापान, ब्राजील जैसे राष्ट्रों द्वारा उठाई जा रही है। यह मांग भी समावेशीकरण एवं सभी देशों के समान प्रतिनिधित्व के सिद्धांत

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

से ही प्रेरित हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के ~~x~~ समावेशी कार्यप्रणाली के न होने के कारण ही कोरोना महामारी में कुप्रबंधन सामने आया है।

समाज के सभी वर्गों को न्याय, विकास समावेशीकरण के साथ देना होगा। भारतीय न्यायपालिका में महिला न्यायधीशों की संख्या बहुत कम है। उच्चतम न्यायलय में केवल 2 महिला न्यायधीश हैं वहीं जिला न्यायलयों में भी 27% न्यायधीश महिला हैं। यह महिलाओं के अधिकारों एवं शोषण के विरुद्ध निर्णयों में महिलाओं के दृष्टिकोण के अभाव को दर्शाता है।

~~~~ संसद में महिला सांसदों का प्रतिनिधित्व केवल 14% है। नीति निर्माण में महिलाओं की भागेदारी इस प्रतिनिधित्व के साथ कैसे सुनिश्चित होगी। महिलाएं
~~~~

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

एवं बच्चों के हितों का संरक्षण महिलाओं द्वारा बेहतर किया जा सकता है। महिलाएं विकास में सक्रिय योगदान देती है और प्रधानमंत्री सड़क योजना एवं आदर्श ग्राम सांसद योजना का क्रियान्वयन बेहतर किया है।

कार्यपालिका के स्तर पर भी महिलाओं एवं समाज के वंचित वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। महिलाओं के विरुद्ध अपराध में नियंत्रण हेतु महिला पुलिस बलों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व आवश्यक है। कोरोना महामारी के प्रबंधन में भी महिला अधिकारियों की भूमिका अधिक संवेदनशीलता के साथ सामने आई है। हाल ही में दिल्ली पुलिस की एक महिला कांस्टेबल सीमा ढाका का बच्चों को खोजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समावेशी एवं समता के साथ ही कार्यपालिका अधिक प्रभावी है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

~~इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए~~
सार्वजनिक संगठन से आगे बढ़ाते हुए समाज के समावेशीकरण पर नजर डालते हैं तो महिलाओं एवं निम्न वर्ग, ~~एवं~~ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं दिव्यांगों को समावेशीकरण एवं समानता के अधिकार नहीं मिले हुए हैं। यदि हमें समाज को सतत, ज्ञान आधारित समाज बनाना है तो सबको अधिकार एवं प्रतिष्ठा के साथ स्वीकार करना होगा।

आर्थिक रूप से विकास तब ही स्थायी हो सकता है जब विकास समावेशी एवं सभी वर्गों ~~में~~ को समान रूप से वितरित हो। अकेंद्रित विकास और्गत असमानता एवं गरीबी को ही बढ़ावा देता है विश्व के संसाधनों पर ~~अमीर~~ समानता के साथ एवं सभी वर्गों के लिए होने चाहिए। अमेरिका जैसे विकसित देश अपने विकास

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

प्रक्रिया में पर्यावरण का भी अधिक दोहन किया है। इसलिए नैतिक रूप से भी अल्प विकसित देशों को तकनीकी स्थानान्तरण एवं आर्थिक सहायता देनी चाहिए। ~~कहीं एक~~ जगह की गरीबी संपूर्ण विश्व की शांति के लिए खतरा होती है।

इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें समावेशीकरण और समता का सार्वजनिक संस्थान में न होने के कारणों पर भी विचार करना चाहिए। इस संदर्भ में हमें समाज की मनोवृत्ति में ही समावेशीकरण का न होना। प्रत्येक समाज पितृसत्तात्मक सोच एवं दिव्यांगों के प्रति सम्मानजनक विचारों का न होना एवं वंचित वर्गों एवं बच्चों के साथ भेदभाव जैसे कारण मिलते हैं। वहीं परिवार के स्तर पर भी महिलाओं को आर्थिक, राजनैतिक एवं प्रजनन के अधिकार नहीं होते हैं।

यही सामाजिक कारण दीर्घकाल में अपवर्जन एवं असमानता को बढ़ाते है।

कानूनों का निर्माण भी कई बार सामाजिक मनोवृत्ति से प्रभावित होता है। कानून निर्माण निर्माता के हितों को ध्यान रखता है। महिलाओं को अमेरिका में 1974 में मताधिकार मिला है। यह सबसे समृद्ध एवं विकसित लोकतंत्र पर व्यंग्य है।

प्राचीन काल से वर्तमान समय तक शक्ति का संकेन्द्रण भी अपवर्जन का कारण बना है। उपनिवेशवादी दौर में ब्रिटेन की विस्तारवादी नीति एवं अन्य देशों की नीतियाँ उपनिवेशों की जनसंख्या को संसाधनों से वंचित किया है।

समावेशीकरण एवं समता को सार्वजनिक संस्थानों में बढ़ाने हेतु वैश्विक

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

सरकारों एवं अन्य संगठनों ने नए संगठनों के निर्माण पर बल दे रहे हैं। ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन, यूरोपीय यूनियन, सार्क, बिम्सटेक एवं आसियान जैसे संगठन लोकतांत्रिक हैं। वहीं विश्व व्यापार संगठन की कमियों के कारण ही वर्तमान समय में मुक्त व्यापार समझौते (free trade agreement) को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत ने भी जापान, द. कोरिया जैसे देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं।

भारत सरकार ने समावेशीकरण एवं समता को बढ़ावा देने हेतु संविधान द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति को विधायिका एवं कार्यपालिका में आरक्षण के प्रावधान किए हैं। सरकारी सेवाओं

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

व शिक्षा संस्थानों में शैक्षिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन को भी आधार बनाया है। यह कदम सरकारी संगठनों में समावेशिता एवं समता को बढ़ावा देगा।

महिलाओं के समावेशीकरण हेतु सरकार ने स्थानीय निकायों में 33% आरक्षण दिया है। वर्तमान समय में महिलाओं की भागेदारी 44% है। यह ग्रामीण विकास ~~के प्रभावी~~ एवं महिला सशक्तीकरण हेतु प्रभावी कदम के रूप में सामने आया है। महिलाओं, दिव्यांगों एवं समाज के दलित एवं वंचित वर्गों को संरक्षण हेतु कानूनों का निर्माण किया है जैसे- अस्पृश्यता रोकथाम अधिनियम, दहेज ~~उत्पीड़~~ उत्पीड़न रोकथाम, यौन शोषण के विरुद्ध एवं कार्यालय में सुरक्षित परिवेश हेतु ~~कानून~~

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

सरकार नीति निदेशक तत्वों के क्रियांवयन करके भी सार्वजनिक संस्थाओं का समावेशीकरण करती है। इसमें ~~समान~~ काम के ~~बदले~~ लिए समान वेतन, महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार योजना में महिला एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति को प्राथमिकता आदि।

समावेशीकरण एवं समता को सार्वजनिक संस्थान में बढ़ाना नैतिक दायित्व भी है। सरकार को महिलाओं को विधायिका में आरक्षण के प्रावधान सुनिश्चित करने चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण की गुणवत्ता में सुधार करना चाहिए। इससे दीर्घकाल में ~~योग्य~~ नागरिकों की क्षमता में वृद्धि होगी। सुयोग्य नागरिक राष्ट्र के विकास में भी बेहतर योगदान

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

देगें। नीति निर्माताओं को संविधान के आदर्शों एवं सतत विकास के लक्ष्यों के क्रियान्वयन हेतु गंभीर प्रयास करने होंगे। इन प्रयासों से ही आर्थिक, राजनैतिक एवं सामाजिक समावेश एवं समता के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा। हमें समाज को भी तार्किक एवं विज्ञान तकनीकी ज्ञान से युक्त करना होगा। जिससे ज्ञान आधारित समाज का निर्माण किया सके। ऐसा समाज जहाँ प्रत्येक व्यक्ति सम्मान एवं प्रतिष्ठा के साथ जीवन निर्वाह कर सके।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

5W
- What — जनसंख्या नीति क्या?
- Where → कहाँ - गांव व शहर, द. भारत, उत्तर भारत
- Why → प्रतिस्थापन दर - 2.3
- When कब - 2021 ✓
- Who - केन्द्र व राज्य सरकार
- How → कैसे - जागरूकता, स्वास्थ्य, शिक्षा

Don't write anything this margin
इस भाग में कुछ भी न लिखें

भारत में जनसंख्या नीति पर पुनर्विचार करने का समय

- पहला 2019 में 136

→ 17.7%

2.1% प्रतिस्थापन दर

→ ऐतिहासिक — विश्व — I WW, II WW
भारत में भी गरीबी, भूख - आजादी से पहले

→ समाज — महिला — प्रजनन का अधिकार - मौन
आर्थिक रूप से सशक्त व शिक्षित महिला
— बच्चों का स्वास्थ्य, शिक्षा → जनसंख्या कम

→ राजनीति → गरीब → लोकतंत्र कमजोर
→ शासन में भ्रष्टाचार - संसाधन कम हो

→ ज. जनांकिकी लाभांश - भार में परिवर्तन

→ आर्थिक व्यवस्था :-
- जीवन की गुणवत्ता के साथ ही विकास
- रोजगार - कौशल युक्त जनसंख्या

→ तकनीकी — Bio technology
— संचार क्रांति

→ आपदा → बाढ़ सूखा अकाल

→ नैतिक — विकास भी नैतिक तब ही - गरीबी एवं कुपोषण रहित जनसंख्या हो।

आवश्यकता क्यों
- I संसाधनों पर दबाव
- II राजनीतिक व्यवस्था व शासन व्यवस्था
- III समाज में महिलाओं की स्थिति

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

→ अपराध का एक कारण जनसंख्या –
→ भूख में मूल्यों को खाने की क्षमता होती है
→ स्वास्थ्य, शिक्षा की गुणवत्ता कम –

कारण :- (1) अशिक्षा एवं गरीबी
(2) स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव
(3) गर्भनिरोधकों की पर्याप्त जागरूकता का अभाव
(4) सामाजिक कारण
(5) आर्थिक कारण

सरकार के प्रयास :-
(1) जननी सुरक्षा योजना, टीकाकरण एवं दो बच्चों के लिए प्रेरित करना, परिवार नियोजन कार्यक्रम
(2) महिला शिक्षा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता
(3) दो बच्चों अंतराल बढ़ाना
(4) आर्थिक विकास के कार्यक्रम

सुझाव :-
- दो बच्चों की नीति को लागू करना / महिलाओं की विवाह की उम्र बढ़ाना
- जनजागृति,
- समाज की मानसिकता में परिवर्तन
- महिला को भी संपत्ति में अधिकार दिए जाएं
- महिलाओं को कार्यशील जनसंख्या में शामिल हो — GDP भी बढ़ेगी।

स्वतंत्रता, समानता, न्याय

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

समावेशिता और समता : एक अच्छे सार्वजनिक संस्थान की अनिवार्य विशेषताएं

inclusiveness → सबका प्रतिनिधित्व — निर्णय निर्माण → मानव अधिकार

equity → भेदभाव न हो सकी — संस्थान

सार्वजनिक संस्थान → परिवार, समाज, सरकार, कंपनी, वैश्विक संस्थान

किस में की समावेशिता

(4) क्यों आवश्यक | (2) समावेशिता & समता न होने के क्या कारण | (2) सरकारी प्रयास & वैश्विक स्तर | (2) सुझाव

ऐतिहासिक कारण → प्रथम, II WW → मूल कारण — जर्मनी अपमान का बदला

↓ उपनिवेशवाद एवं वैश्विक संसाधनों

1945 का वैश्विक प्रतिनिधित्व — UNO का सुरक्षा परिषद — अधिक भू-भाग (IMF, World Bank)

→ समाज — महिलाओं, बच्चों के अधिकार, दिव्यांग

भौगोलिक / आर्थिक संसाधन — परिवार, ST, SC का शोषण,

न्यायपालिका → महान्यायवादी ने कहा न्यायपालिका में SC Judge — 2 ही हैं

↓ आर्थिक; महिलाओं के साथ न्याय, नियुक्ति — High Courts

15% → विधायिका — संसद में — 14%

→ कार्यपालिका — पुलिस में प्रतिनिधित्व

→ आपदा प्रबंधन — Covid में महिलाओं ने बेहतर काम किया

2 → आंतरिक सुरक्षा

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

न होने के क्या कारण

1. ऐतिहासिक कारण – महिलाओं – I, II ww के बाद देना शुरू
2. पुरुष प्रधान समाज
3. शक्ति का संकेन्द्रण → आर्थिक
   ब्रिटेन
   जर्मनी – पूर्व कैसरशाही
4. जाति, लिंग (सामाजिक कारण) – परिवार की संरचना
5. कानून की पक्षपाती

सरकारी प्रयास

→ वैश्विक स्तर पर नवीन संगठन लोकतांत्रिक – SCO, BRICS, न्यू डवलपमेंट बैंक, ASEAN, RCEP

(आरक्षण) → सरकार ने पंचायत राज में महिलाओं को अधिकार

संविधान के प्रावधान Art. 15, 16 – मूल्यांकन का, समाज प्रगतिशील

→ शिक्षा को बढ़ावा, ~~तर्क~~

→ लिंग के आधार पर भेदभाव – न ही आर्थिक सुरक्षा

→ रोजगार नीति निर्माण पंचायत

→ संघ संसदीय व्यवस्था, समाज

सुझाव :- (1) शिक्षा को बढ़ावा

(2) समाज ही समावेशी हो, ज्ञान आधारित समाज

तत्कालीन (3) महिलाओं को संसद में आरक्षण

दीर्घकालीन → संविधान को वास्तविक अर्थ